45
23

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक एफ-31(00)जविप्रा/[illegible]/[illegible]/2010/ [illegible] दिनांक- [illegible]

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण में प्राप्त आवेदन पत्रों का प्राधिकरण के विभिन्न प्रशासनिक एककों के लिए नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों में विहित समयावधि में निस्तारण हेतु क्रमांक डी-3126 दिनांक 10.06.08 व डी-4017 दिनांक 11.06.2010 से आदेश जारी किये जाकर प्रक्रिया निर्धारित की हुई है।

राज्य सूचना आयोग में जयपुर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित कतिपय अपीलों/ परिवादों में अधिनियम की धारा 20(1) में शास्तियॉं आरोपित की जाती हैं। जिसमें आरोपित शास्ति सम्बन्धित, जिम्मेदार अधिकारी/कार्मिक से वसूल किये जाने के आदेश भी वर्णित होते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) में प्राप्त आवेदन पत्र से लेकर आयोग में दर्ज अपील/परिवाद में आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20(1) में आरोपित शास्ति के निर्णय होने तक काफी समय व्यतीत हो जाता है। इस दौरान प्रकरण को डील कर रहे अधिकारी/कार्मिक भी स्थानान्तरण होने के कारण बदलते रहते हैं।

अतः इस प्रकार के प्रकरणों में सूचना आयोग द्वारा आरोपित की जाने वाली शास्तियों/ अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देशों की पालना बाबत् निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. सूचना आयोग से अपील/परिवाद में निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर अधिरोपित शास्ति के भुगतान के लिये सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा सचिव, जविप्रा की स्वीकृति प्राप्त कर अधिरोपित शास्ति का भुगतान आयोग को करने की स्वीकृति सचिव, जविप्रा के हस्ताक्षरों से जारी करेंगे व आदेश का पृष्ठांकन अति० आयुक्त (प्रशासन), संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), लेखाधिकारी (भुगतान) एवं उपायुक्त (जाँच) को आयोग के निर्णय की छायाप्रति के साथ प्रेषित करेंगे।

(31)

45
24

2 लेखाधिकारी (भुगतान) जारी स्वीकृति आदेश अनुसार शास्ति राशि का बैंक तैयार कर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करेंगे। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त चैक को पत्र द्वारा निर्धारित समयावधि में आयोग को भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर आयोग को प्रेषित पत्र का पृष्ठांकन सचिव, जविप्रा, संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय) एवं उपायुक्त (जाँच) को प्रेषित किया जावेगा।

3. सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा आयोग निर्णय के एक माह में जाँच कर प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारी/कार्मिक की रिपोर्ट मय आवश्यक दस्तावेजों सहित अति० आयुक्त (प्रशासन) को प्रस्तुत करेंगे।

4. अति० आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा द्वारा प्राप्त जाँच रिपोर्ट का उपायुक्त (जाँच) से 15 दिवस में परीक्षण कराया जाकर सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी/कार्मिक की जिम्मेदारी तय करते हुए रिपोर्ट सचिव, जविप्रा; को प्रस्तुत की जाएगी। जिस पर निर्णय उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी/ कार्मिक के वेतन से शास्ति की राशि वसूल किये जाने के आदेश उपायुक्त (जाँच) द्वारा सचिव/अति० आयुक्त (प्रशासन) के हस्ताक्षर से जारी करायेंगे।

5. उपरोक्त आदेशानुसार लेखाधिकारी (भुगतान) द्वारा आरोपित शास्ति की राशि कार्यरत अधिकारी/कार्मिक के वेतन में से कटौती की जाकर पालना रिपोर्ट अति० आयुक्त (प्रशासन) को प्रेषित की जावेगी।

6. सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक का जविप्रा से स्थानान्तरण होने की स्थिति में अति० आयुक्त (प्रशासन) द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) के माध्यम से उपरोक्त अधिकारी/कार्मिक के पैतृक विभाग के माध्यम से वेतन में कटौती कराकर जविप्रा में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी। जिन प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी अति० आयुक्त (प्रशासन) हैं उन प्रकरणों में बिन्दु संख्या–3 अनुसार कार्यवाही कर जिम्मेदार अधिकारी/कार्मिक की जिम्मेदारी की रिपोर्ट मय आवश्यक दस्तावेजों के अति० आयुक्त (प्रशासन) द्वारा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत की जायेगी जिस पर निर्णय

उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी कार्मिक के वेतन से शास्ति वसूल किये जाने बाबत् आदेश अति० आयुक्त (प्रशासन)/उपायुक्त (कार्मिक) के हस्ताक्षरों से जारी किये जायेंगे।

7. राज्य सूचना आयोग द्वारा आरोपित शास्ति के प्राप्त प्रकरणों की एक छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी द्वारा समन्वय प्रकोष्ठ को प्रेषित की जायेगी।

8. जिन प्रकरणों में आयोग द्वारा शास्ति के स्थान पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हो उन पर भी इसी प्रकियानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही उपायुक्त (जाँच) के माध्यम से अति० आयुक्त (प्रशासन) द्वारा सचिव, जविप्रा की स्वीकृति से की जायेगी। यह आदेश जयपुर विकास आयुक्त महोदय से पुष्ट है।

सचिव

(अ) प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव आयुक्त/सचिव, जविप्रा, जयपुर।

(ब) प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप महानिरीक्षक (पुलिस)/मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
2. निदेशक (अभियान्त्रिकी/परियोजना/आयोजना/वित्त/विधि), जविप्रा, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/भूमि/प्रशासन)/संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम एवं द्वितीय, जविप्रा, जयपुर।
5. अधिक्षण अभियन्ता (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय)/(चतुर्थ)/पंचम एवं तकनीकी सहायक निदेशक (अभियान्त्रिकी/परियोजना)/सर्किल अभियन्ता-पी०एच०ई०/सर्किल अभियन्ता-रिंग रोड प्रोजेक्ट/पी.डी.सी. जविप्रा, जयपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक (बी०पी०सी०)/एम०पी०/प्रोजेक्ट, जविप्रा, जयपुर।
7. समस्त उपायुक्त जोन-1 से 14/समान्य प्रशासन/स्टोर/जॉच/वाहन/अभाव अभियोग प्रकोष्ठ/पी०पी०सी०/समन्वय, जविप्रा, जयपुर।
8. उप निदेशक (व्यय एवं बजट)/लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर।
9. भूमि अवाप्ति अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
11. समस्त जोनल अभियन्ता/वरिष्ठ उद्यान विज्ञ, जविप्रा, जयपुर।
12. विशेषाधिकारी (प्रचार) विशेषाधिकारी (संसाधन विकास)/संयुक्त रजिस्ट्रार (सहकारिता)/उपरजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।
13. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर।
14. नोटिस बोर्ड।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त आयुक्त
(संसाधन विकास एवं समन्वय)